

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**

**संकल्प**

**विषय:—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को परिणामी वरीयता सहित आरक्षण का लाभ जारी रखने के संबंध में।**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका (सिविल) सं०-61/2002, एम० नागराज एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 19.10.2006 को पारित न्याय-निर्णय तथा सदृश अन्य मामलों में पारित न्यायादेश के अनुपालन में सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को आरक्षण एवं वरीयता का लाभ देने के क्रम में निम्नांकित तीन बिन्दुओं पर आँकड़े संग्रहित करने का निर्देश है:—

- (i) Backwardness
- (ii) Inadequacy of representation
- (iii) Overall administrative efficiency


2. उक्त न्यायिक आदेशों के अनुपालन के क्रम में राज्य सरकार के आदेश सं०-125 दिनांक 22.06.2012 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को नोडल विभाग बनाते हुए संदर्भित आँकड़े के आधार पर राज्य की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों के पिछड़ापन एवं अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा प्रतिवेदन कार्यकारी सारांश सहित समर्पित किया गया है।
3. उक्त प्रतिवेदन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्देशित बिन्दुओं की समीक्षा आँकड़ों के आधार पर की गयी है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवेदित निष्कर्ष में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सरकारी सेवकों को प्रोन्नति में आरक्षण की सुविधा रखने की आवश्यकता बतायी गयी है।
4. संदर्भित विभागीय प्रतिवेदन की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में सापेक्ष रूप में पिछड़ापन है। सामाजिक पिछड़ापन, अपेक्षाकृत खराब आर्थिक स्थिति एवं उसके साथ अपेक्षित शैक्षणिक प्रगति न होने के कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समुदाय के सदस्यों की प्रगति अन्य सामाजिक वर्गों की तुलना में संतोषजनक नहीं है। आँकड़े देकर यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि स्वतंत्रता के छः दशकों के उपरांत भी इस समुदाय के सदस्यों को कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है और काम करना पड़ रहा है। सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन तथा सीमित शैक्षणिक प्रगति का परिणाम सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मियों की यथेष्ट संख्या नहीं होने के रूप में है। राज्य सरकार के द्वारा कई क्षेत्रों में काफी प्रगति की गयी है, उदाहरणार्थ शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना का विकास, राजस्व संग्रहण इत्यादि। इस प्रगति में कहीं भी

आरक्षण के कारण प्रशासनिक दक्षता के कुप्रभावित होने के उदाहरण नहीं मिले हैं, यद्यपि कि आरक्षण की सुविधा कई वर्षों से दी जा रही है।

5. इस परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निदेश के क्रम में समर्पित प्रतिवेदन के सम्यक् समीक्षोपरान्त राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण की सुविधा परिणामी वरीयता के साथ अगले आदेश तक जारी रखने का निर्णय लिया जाता है।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतियाँ सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाए।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(नवीन चन्द्र झा) 21.8.12

सरकार के संयुक्त सचिव


ज्ञापांक - 11/आ0 न्याय - 03/2012/11635 सा0प्र0/पटना, दिनांक- 21.8.12

प्रतिलिपि: अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 1000 (एक हजार) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशाखा-11) को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

  
21.8.12  
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक - 11/आ0 न्याय - 03/2012/11635 सा0प्र0/पटना, दिनांक- 21.8.12

प्रतिलिपि: सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्य मंत्री सचिवालय/ राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना/ परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/ सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/ सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/ उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग/ सचिव, राज्य महादलित आयोग, पटना/ लोकायुक्त के कार्यालय, बिहार, पटना/ निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/ बिहार विधान सभा, पटना/ बिहार विधान परिषद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव 21.8.12